न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चितौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी :नारायण सिंह चारण, आर.ए.एस.
प्रकरण सं. 01/2017 (रा.प्रा.प.) दायर दिनांक 05.07.2017

श्री प्रभूलाल पिता हंसराज ब्राहमण, निवासी सुवाणिया, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री प्रहलाद पिता नगजीराम तेली, निवासी सुवाणिया,तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़
2. सरकार जरिये तहसीलदार गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ ।
3. श्री हीरालाल पिता टेकचन्द मेनारिया, निवासी सुवाणिया, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

विपक्षीगण

कार्यवाही:– प्रार्थना पत्र राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि–आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4)
उपस्थित :–प्रार्थी अधिवक्ता :– श्री राजेन्द्र कुमार राजोरा
अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 व 03 :– श्री बंसतीलाल पोखरना

निर्णय **दिनांक 30.11.2017**

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 श्री प्रहलाद तेली ने दिनांक 19.06.2002 को आंवटन के लिये प्रार्थना पत्र अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया कि सुवाणिया खसरा संख्या 184 क्षेत्रफल 0.50 भूमि बंजड़ के आवंटन के लिये प्रार्थी ने आवेदन किया जबकि उक्त आराजीयात पर कभी भी आंवटन से पूर्व या बाद में आंवटी प्रहलाद तेली का कब्जा कभी नही रहा है। प्रहलाद तेली आंवटी को जो आराजीयात आवंटन अधिकारी ने आवंटित की है कानून के विरूद्ध जाकर आंवटी को फायदा पहुचांने के लिये की गई है। आवंटी के पास पूर्व में जमीने है। आवंटी निर्धन या भूमिहीन नही है। उक्त आराजीयात पर श्री प्रभूलाल पिता हंसराज मेनारिया, निवासी सुवाणिया तहसील गंगरार का कब्जा करीब 1985 से लगातार अभी तक है और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अधिन नायब तहसीलदार गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ के अतिक्रमण के नोटिस भी

आवेदक प्रभुलाल को दिये गये और लगतार अतिक्रमण की पेनल्टीयां भी आवेदक प्रभूलाल ने ही जमा कराई। मौके पर कर्मचारयों ने आकर कोई कार्यवाही नही की, आवेदक से कभी भी कब्जा तहसीलदार ने प्राप्त नही किया, कब्जा आवेदक का होते हुए भी केवल कागजी कार्यवाही कर आराजीयात आवंटित कर दी गई जो कानून के विपरीत होकर निरस्त योग्य है। अतः अप्रार्थी संख्या 01 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावें।

प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र को विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की सुनवाई हेतु सूचना पत्र जारी किए गए।

विपक्षी संख्या 01 श्री प्रहलाद तेली ने दिनांक 28.07.2017 को जवाब प्रस्तुत किया कि विपक्षी संख्या 01 को भू आवंटन दिनांक 20.06.2002 में हुआ। जिसे प्रार्थी प्रभूलाल ने 15 वर्ष की अवधि से भी अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् दिनांक 03.07.2017 को आवंटन निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो अत्यधिक देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में उचित एवं पर्याप्त स्पष्टीकरण आवेदक प्रभूलाल ने अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14 (4) भू आंवटन नियम 1970 में प्रकट नही किया है। इस कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र निरस्त योग्य है। विपक्षी संख्या 01 को ग्राम सुवाणिया के कृषि भूमि के आवंटन के पश्चात नियमानुसार विपक्षी संख्या 01 के नाम आवंटित भूमि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार में दर्ज हो चुकी है, ऐसी स्थिति में जब विपक्षी संख्या 01 उसे आवंटित भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित हो चुका हो तो नियम 14 (4) भू आवंटन नियम 1970 के तहत् आवंटन निरस्त करने का माननीय न्यायालय को कोई अधिकार नही है क्योंकि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में दर्ज कृषि भूमि को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 88 एवं 89 के तहत् खातेदारी अधिकार को चुनौती देकर ही किसी खातेदारी अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है अन्यथा नही। ऐसी स्थिति में नियम 14 (4) भू आवंटन नियम 1970 के तहत् प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है और माननीय न्यायालय को आवंटन निरस्त करने का अधिकार शेष नही है क्योंकि विपक्षी संख्या 01 को विधि अनुसार

आवंटित भूमि का विधि अनुसार खातेदारी अधिकार सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त किये जा चुके है, इस कारण आवेदक प्रभूलाल द्वारा प्रस्तुत आवंटन निरस्ती का यह प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के निरस्तनीय है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल का निर्णय विनिर्णय आरबीजे 1995(2) पेज 780 पटराम व अन्य बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेज 785 पेरा 11 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि खातेदारी अधिकार आवंटी को प्रदत्त हो जाने के पश्चात नियम 14 (4) भू आवंटन नियम 1970 के तहत आवंटन निरस्त करने का अधिकार जिला कलेक्टर को नही है। आवंटी प्रहलाद के आंवटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लेने के पश्चात बहैसियत खातेदार अधिकार के भूमि को आवेदक प्रभूलाल द्वारा प्रस्तुत भू आवंटन निरस्ती के प्रार्थना पत्र दिनांक 03.07.2017 के पूर्व ही दिनांक 21.06.2017 को विधि अनुसार जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र तादादी 1,75,000/– अक्षरे एक लाख पिचत्तर हजार रूपये में अपने वैधानिक अधिकारों का उपयोग उपभोग करते हुए श्री हीरालाल पिता टेकचंद मेनारिया, निवासी सुवाणिया को विक्रय कर कब्जे में दे दी है जिस पर उक्त विक्रेता हीरालाल बहैसियत खातेदार अधिकार के अलोच्य भूमि पर काबिज चला आ रहा है व उपयोग उपभोग कर रहा है। और आवंटी विपक्षी संख्या 01 प्रहलाद का अलोच्य भूमि में अब किसी भी प्रकार का कोई वैध अधिकार व आधिपत्य व मौके पर कब्जा ही शेष नहीं है। ऐसी स्थिति में आवेदक प्रभूलाल द्वारा प्रस्तुत यह आवेदन बाबत् भू आवंटन निरस्ती मय हर्जे खर्चे के खारिज किये जाने योग्य है।

विपक्षी संख्या 03 श्री हीरालाल ने दिनांक 15.09.2017 को जवाब प्रस्तुत किया कि मुझ विपक्षी संख्या 03 हीरालाल ने इस मामले से संबधित कृषि भूमि को खातेदार टिनेन्ट राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रहलाद से पूर्ण विक्रय मूल्य अदा कर विधि अनुसार पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2017 के आधार पर खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। मेरे विक्रय पत्र के पंजीयन के पश्चात प्रार्थी प्रभूलाल ने मेरे विक्रेता प्रहलाद के विरूद्ध उसे हुए कृषि भूमि के आंवटन को निरस्त कराने का प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में दिनांक 03.07.2017 को प्रस्तुत किया है जो चलने योग्य नही

है। आवंटी विपक्षी संख्या 01 प्रहलाद का आवंटित भूमि पर कोई अधिकार नही हो सारे अधिकार मुझ क्रेता में वेस्ट हो चुके है एवं By Opretion of Low में क्रेता खातेदार प्रहलाद के स्थान पर खातेदार टिनेन्ट in Low of disputed land हो चुका हूँ। मेरे खातेदारी अधिकारों को अब नियम 14 (4) भू आवंटन नियम 1970 के तहत् समाप्त नही किये जा सकते है। अतः प्रार्थना पत्र को सुनने का अधिकार आंवटित भूमि पर आवंटी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् मुझे विक्रय कर पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से खातेदारी अधिकारों का हस्तान्तरण मुझ क्रेता हीरालाल को हो जाने व मैं क्रेता सद्भावी क्रेता होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्तनीय है।

प्रकरण पर वकील प्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की जिसमें कथन है कि ग्राम सुवाणिया तहसील गंगरार की आराजी नम्बर 184 रकबा 0.50 हैक्टर में से 0.30 हैक्टर भूमि का आंवटन विधि विरूद्ध किया गया है। उक्त भूमि पर विपक्षी संख्या 01 का कभी कब्जा नही रहा है तथा न ही आवंटी भूमिहीन सद्भावी किसान था। उक्त विवादित भूमि पर प्रार्थी प्रभूलाल का पुराना कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि का कब्जा विपक्षी संख्या 01 का नही होते हुए भी मौके की बिना जांच किये हुए आंवटन किया गया जो गलत है। विपक्षी संख्या 01 द्वारा आंवटन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर सहलाकार समिति की राय में एक सदस्य मोहनी देवी, सरपंच के हस्ताक्षर के हस्ताक्षर है जबकि मोहनीदेवी विपक्षी संख्या 03 की पत्नी है जिससे आवंटन निरस्त योग्य है। आंवटित भूमि का कब्जा आवंटी को एक माह के भीतर करना चाहिए जबकि उक्त भूमि का कब्जा तीन माह बाद पर्चा मौका तैयार किया गया जो मौके पर जाकर नही बनाया गया है। आज भी मौके पर कब्जा प्रार्थी का होकर मौके पर पेड एवं बाड लगी हुई है। उक्त भूमि पर विगत 50 वर्षो से भी अधिक समय से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है जिस पर तहसीलदार द्वारा समय–समय पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत् कार्यवाही कर नोटिस जारी किये है जिससे भी प्रार्थी का कब्जा होना साबित होता है। विवादित भूमि के संबंध में विपक्षी संख्या 01 द्वारा खातेदारी अधिकार प्राप्त कर दिनांक 21.06.2017 को विपक्षी संख्या 03 श्री

हीरालाल को भूमि का विक्रय किया गया। विपक्षी द्वारा प्रकरण पर प्रस्तुत नजीरें पुरानी होकर लागू नही है। वर्तमान में नये कानून प्रभावित है। विपक्षी संख्या 01 भूमिहीन नही होते हुए भी तथ्यों को छूपाकर नियम विपरीत भूमि का आंवटन किया गया है जो निरस्त योग्य है एवं पूर्व दृष्टांत आर.आर.टी. 05 (1)आर.बी.पेज 634, डी. एन.जे. 2011 (3) राजस्थान हाई.कोर्ट पेज 1100, आर.आर.टी 2001 (1)आर.बी.पेज 72 पेश किये।

प्रकरण पर विपक्षी अधिवक्ता की बहस सुनी गयी जिसमें कथन है कि विवादित भूमि दिनांक 19.06.2002 को आवंटन हुआ और अपील हुई 2017 में इस दौरान 15 वर्ष की अवधि व्यतीत करने के उपरान्त प्रस्तुत की गई है जिसमें किसी प्रकार का ठोस तथ्य प्रकट नही किये गये। प्रार्थी प्रभूलाल को भी उसी दिन इसी आराजीयात में से आवंटन हुआ है। विवादित भूमि आवंटन होने पर हमे कब्जा सुपुर्द कर दिया है उस पर स्वयं प्रार्थी प्रभूलाल के हस्ताक्षर भी है। ये सभी तथ्य प्रार्थी की जानकारी में होने पर भी 15 वर्ष बाद अपील करने का कोई ओचित्य नही है। आरबीजे 1995 पेज संख्या 780 पर उल्लेख है कि आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाते है तो भूमि का आंवटन निरस्त नही किया जा सकता। हमें खातेदारी अधिकार भी प्राप्त हो चुके है जब खातेदारी अधिकार कन्फर्म होने के बाद जिला कलक्टर को धारा 14(4) के तहत् प्रकरण में सुनवाई का कोई अधिकार नही है। खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के बाद विपक्षी संख्या 01 के द्वारा विपक्षी संख्या 03 को भूमि का विक्रय किया गया है। अतः वह अब खातेदार है। जब खातेदारी कन्फर्म हो जाती है तो आवंटन निरस्त नही हो सकता है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

प्रकरण पर उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। ग्राम सुवाणिया तहसील गंगरार की आराजी नम्बर 184 रकबा रकबा 0.50 हैक्टर में से 0.30 हैक्टर भूमि विपक्षी संख्या 01 श्री प्रहलाद पिता नगजीराम तेली, निवासी सुवाणिया को दिनांक 20.06.2002 को कृषि प्रयोजनार्थ

आंवटन की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया जिसमें आवंटित की जाने वाली भूमि पर अतिक्रमण नही है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत् प्रतिबंधित श्रेणी में नही होने का अंकन किया गया है तथा आवंटी को भूमिहीन की श्रेणी में माना जाकर आवंटन कमेटी द्वारा भूमि आंवटन किया गया है। मननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा पारित निर्णय प्रकरण संख्या डीबीसी सिविल रीट पीटीशन संख्या 948/1986 अनवान पटराम वगैरा बनाम सरकार के पेज संख्या 780 में प्रतिपादित किया कि राजस्थान भू राजस्व आंवटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत् आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार कन्फर्म हो जाने के बाद आवंटन को निरस्त करने का अधिकार जिला कलक्टर को नही है। प्रकरण पर उपलब्ध तथ्यों में प्रार्थी द्वारा 15 साल बाद आवंटन निरस्त कराने बाबत् अपील प्रस्तुत की है जिसमें किसी प्रकार के ठोस कारण अथवा सबूत प्रस्तुत नही किये है तथा न ही अपने लिखित बहस में ऐसे कथन का अंकन किया हो जिससे आवंटन निरस्त कराने के संबंध में कारण बनता हो। उक्त विवादित भूमि के संबंध में तहसीलदार द्वारा धारा 91 एलआर एक्ट के तहत् कार्यवाही प्रार्थी के विरूद्ध करने के तथ्य अंकित किये है परन्तु इस संबंध में किसी प्रकार के नोटिस अथवा तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण प्रस्तुत नही किये है। जिससे भी यह स्पष्ट नही होता है कि उक्त भूमि पर अतिक्रमण संबंधी किसी प्रकार की कार्यवाही संबंधित तहसीलदार द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध की गई हो। विवादित भूमि का वक्त आवंटन पर आवंटी को कब्जा सुपुर्दगी की कार्यवाही की गई जिसमें बतौर साक्षी में प्रार्थी श्री प्रभूलाल के अगुंष्ठ निशानी अंकित है जिससे भी साबित होता है कि आंवटित भूमि के संबंध में की गई कार्यवाही से प्रार्थी की जानकारी में थी, ऐसी स्थिति में भी 15 वर्ष व्यतीत करने के उपरान्त बिना किसी ठोस आधार के आवंटन निरस्त कराने की अपील प्रस्तुत की है जो विधि विरूद्ध प्रतीत होती है। विवादित भूमि की खातेदारी प्राप्त करने के पश्चात् खातेदार श्री प्रहलाद पिता नगजीराम तेली विपक्षी संख्या 01 ने श्री हीरालाल पिता टेकचन्द मेनारिया विपक्षी संख्या 03 को

जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र से दिनांक 21.06.2017 को विक्रय की गई है एवं वर्तमान में उक्त आवंटन शुदा आराजी का विपक्षी संख्या 03 सद्भावी क्रेता होने से खातेदार दर्ज रेकार्ड है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ग्राम सुवाणिया तहसील गंगरार की आराजी संख्या 184 रकबा 0.50 हैक्टर में से 0.30 हैक्टर भूमि को विपक्षी संख्या 01 को आंवटन कमेंटी द्वारा विधि अनुसार आवंटन किया जाना प्रतीत होता है एवं आवंटन में कोई तात्विक त्रुटि दृष्टिगोचर नही होती है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को प्रार्थी साबित कराने में विफल रहा है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 30.11.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन), चित्तौडगढ़